राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(18)नविवि/5/09 दिनांक: 05.02.2010

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः— राज्य सरकार द्वारा जारी अफॉरडेबल हाऊसिंग पॉलिसी–2009 के संबंध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक जविप्रा/निआ/निस/10/डी–13 दिनांक 22.01.2010

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 23.12.09 को जारी अफॉरडेबल हाऊसिंग पॉलिसी–2009 के क्रियान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश चाहे गये थे। उक्त पॉलिसी के संबंध में लेख है कि जिन योजनाओं को बीपीसी–एलपी/आयुक्त द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक मानचित्र जारी नहीं किये गये हैं, उन प्रकरणो में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:–

1. जिन प्रकरणो में सक्षम समिति/ अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.09 के पूर्व अनुमोदन किया जा चुका है, उन प्रकरणों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का आरक्षण किया जाना आवश्यक नहीं होगा, इसके बाद अर्थात् दिनांक 23.12.09 व उसके पश्चात् जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जाये उन में अफॉरडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के अनुसार ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का आरक्षण होने को सुनिश्चित करें।
2. अफॉरडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के पैरा 3.04 में निजी विकासकर्ता (टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग स्कीम) के लिए 15 प्रतिशत आवास/ प्लॉट्स अथवा योजना के आवासीय क्षेत्र का 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए आरक्षित रखा जाना आवश्यक किया गया है। यह पाया गया कि छोटी योजनाओं में यह प्रावधान किये जाने में कठिनाई आती है, अतः उन सभी प्रकरणों में जिन में टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर या इससे कम है, ऐसे प्रकरणों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आवास/प्लोट्स का प्रावधान रखा जाना आवश्यक नहीं होगा।

भवदीय

(एस.ए. फारूकी)
उप शासन सचिव–द्वितीय